संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A11-136(2)/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून :** **दिनांक** 20 **मार्च, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 4402/Aff/2020-21 दिनांक 31–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री राम इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, निरंजनपुर, देहरादून को B.Com (Hons) B.Com (C.F.A) BBA पाठ्यक्रमों में प्रति पाठ्यक्रम 60 सीट के साथ सत्र 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धों के साथ छात्रहित में प्रदान की गई है :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री राम इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट, निरंजनपुर, देहरादून	1. B.Com (Hons) 2. B.Com (C.F.A) 3. BBA	60 सीट 60 सीट 60 सीट	सत्र 2020–21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(ii) विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 विनियमानुसार सम्बद्धता प्राप्त होने के 03 माह के भीतर संस्थान की फैकल्टी का अनुमोदन सुनिश्चित करेगा।

(iii) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद शासनादेश सं0–338 दिनांक 25 अप्रैल, 2005 में निहित व्यवस्थानुसार संस्थान के नवीन पाठ्यक्रम संचालन हेतु शासन से अनापत्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करेगी साथ ही अनापत्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने की सूचना से इस सचिवालय को भी अवगत करायेगी।

(iv) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

3– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3471 **(1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-136(2)/2021 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।